

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 7/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2020

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारी को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै: डिवीस लैबॉरेटरीज़ लिम., डीवि टावर्स, 1-72/23 P/DIVIS/303, साइबर हिलस, गाचीबोवली, हैदराबाद-500032, तेलंगाना और 22 अन्य.	फ़ा. सं. DRI/BZU/ S-IV/Enq-27 (Int-Nil)/ 2019 दिनांक 16.12.2019, दिनांक 10.01.2020 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय (SCN No. 59/2019).	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, विजाग सी, कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया, विसखापटनम. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीरबाघ, हैदराबाद. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.

			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, विजयवाड़ा कस्टमस निवारक आयुक्तालय, औटोनगर, विजयवाड़ा.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (न्हावा शेवा -I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, मुँदरा.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टमस निवारक आयुक्तालय, विलियम्स रोड, त्रिची.</p>
			<p>प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, मारमागोवा, वास्को-डा-गामा, गोवा.</p>

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-4/2020-CI]

(जसप्रीत सिंह सुखीजा)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-बैंगलोर को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिसो के नोटिसियों को समान न्याय निर्णयनन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ो (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें।